उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-02/2020-21

रामकेशव प्र0 सिंह

बनाम्

अंचल अधिकारी, गोड्डा

-: आदेश :-

दिनांक 30/07/21

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रविष्टि बिन्दु पर सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता रामकेशव प्र0 सिंह, पे0-स्व0 श्यामेश्वरी प्र0 सिंह, सा0-गंगटा खुर्द, थाना-गोड्डा नगर, जिला-गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-16/04-05 आदेश दिनांक-24.01.2020 के विरूद्ध लाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0-16/04-05 आदेश दिनांक-24.01.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा-गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0-95 दाग नं0-1069 रकवा 00-02-00 धुर जमीन से उच्छेद किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन के आधार पर आर0ई0आर0 केश नं0-16/04-05 प्रारम्भ किया एवं अपीलकर्त्ता से कारण-पृच्छा की माँग की गयी। अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। कारण-पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि मौजा-गंगटा खूर्द के जमाबंदी सं0-95 दाग नं0-1069 रकवा 00-01-13 धुर जमीन पर उनके पूर्वजों के समय से ही मकान बना हुआ है। उक्त जमीन जमाबंदी रैयत फुदु मियाँ के द्वारा कुर्फा के माध्यम से दिनांक-17.04.1934 को श्यामेश्वरी प्र0 सिंह, पे0-काली सिंह को दिया था। श्यामेश्वरी प्र0 सिंह ने उस पर कच्चे का मकान बनाया। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत फुदु मियाँ के वंशज मो0 मसरफ अली, पे0-मु0 असरफ, मु0 मुबारक, बीबी वफाटन, बीबी नजुम, पे0-हबीब उर्फ मीठु मियाँ एवं मु0 मकबूल पे0-नूर महम्मद मियाँ के द्वारा शपथ पत्र भी बनाया गया है एवं शपथ पत्र में स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन वर्ष 1934 ई0 में प्राप्त हुआ है तथा अपीलकर्त्ता उसपर सपरिवार निवास करते आ रहें हैं। उक्त

जमीन पर अपीलकर्त्ता का प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने के बावजूद भी निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन को अंगीकार करने हेतु अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1036/रा0 दिनांक–04.11.20 से प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गंगटा खूर्द थाना सं0–515 जमाबंदी सं0–95 अन्तर्गत खेसरा सं0–1069 के अंदर अंश रकवा 00–01–13 धुर भूमि पर आवेदक का पक्का मकान निर्मित है एवं सपरिवार निवास कर रहें हैं। उपरोक्त जमाबंदी सं0–95 जमाबंदी रैयत फीदा मियाँ वल्द शंकर मियाँ सा0–असनबनी के नाम से गत सर्वे खतियान एवं पंजी–2 में दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आतें हैं। जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि उनके पिता को कुर्फा/दानपत्र के द्वारा जमाबंदी रैयत के वंशज से प्राप्त है। उपरोक्त भूमि रैयती है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत रैयती भूमि अहस्तांतरणीय है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0–95 दाग नं0–1069 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपील वादगत जमीन कुर्फा/दान पत्र से जमाबंदी रैयत के वंशज से प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील आवेदन के साथ प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने का कागजी साक्ष्य दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:47:00 +05:30
Location: 192.168.29.8

30/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

30/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।